

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2025/162071/KSN/KUSHI NAGAR/1900/CFO
दिनांक: 18-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PAWA NAGAR CENTRAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO 113,114,115,VILL-MADHURIYA JOKWA BAZAR,KUSHINAGAR** तहसील - **KASIA**, प्लॉट एरिया **5954.23 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **797.10** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **PAWA NAGAR CENTRAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-06-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHOK JAISWAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-06-2025** से **20-06-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **PAWA NAGAR CENTRAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **PAWA NAGAR CENTRAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO PADRAUNA 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक AMC/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत विभाग के अर्ह एजेन्सी से विद्युत सुरक्षा आडिट करा लें। 4-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग व किसी भी तल पर अधिभोग परिवर्तन करने पर विभागीय स्वीकृति ली जाये। 5-स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये। 6-शा0सं0-187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार FIRE NOC निर्गत की जा रही है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-06-2025
स्थान : KUSHI NAGAR

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SUPATRA SHANKHDHAR)

[4C7037648780A5FD625EFF8C9FD2718E884A4862]

21-06-2025



Manager
Pawanagar Central School
Kushi Nagar, Kushi Nagar (U. P.)